तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4340/2004/नागौर** **रेखाराम बनाम रामेश्वर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.05.2022	**खण्डपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **श्री गणेश कुमार, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट अभिभाषक रेस्पो0 अनपुस्थित एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर दिनांक 03.09.2004 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी द्वारा एक वाद परीक्षण न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, डीडवाना के समक्ष बाबत बंटवारा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत किया गया था। जो परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जगूराम को वाद की सूचना जरिये नोटिस प्राप्त हो गयी किन्तु प्रतिवादी/अपीलांट को वाद विचाराधीन होने की कोई सूचना नहीं मिली। प्रतिवादी/अपीलांट की तामील होना मानते हुये प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी एवं प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना इकबाली जबाव दावा प्रस्तुत करते हुये वाद में राजीनामा प्रस्तुत किया। वादी की साक्ष्य लेने के बाद प्रतिवादी /अप्रार्थी संख्या 2 के राजीनाम के आधार पर परीक्षण न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, डीडवाना ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2002 से वादी का वाद डिक्री कर दिया। प्रार्थी ने उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री की जानकारी होने पर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 प्रस्तुत करते हुये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2002 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। इसी दौरान परीक्षण न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, डीडवाना ने अंतिम डिक्री दिनांक 30.3.2003 पारित कर दी। अपीलांट/प्रतिवादी ने उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील	७

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4340/2004/नागौर** **रेखाराम बनाम रामेश्वर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकारी, नागोर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर प्रस्तुत किया जाना मानते हुये अपने निर्णय दिनांक 03.09.2004 से खारिज कर दी। अपीलीय न्यायाय के उक्त निर्णय के यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस अपील में सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जगूराम को वाद की सूचना जरिये नोटिस दी गयी किन्तु प्रतिवादी/अपीलांट को वाद विचाराधीन होने की कोई सूचना नहीं मिली। प्रतिवादी/अपीलांट की तामील होना मानते हुये प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी एवं प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना इकबाली जबाव दावा प्रस्तुत करते हुये वाद में राजीनामा प्रस्तुत किया। वादी की साक्ष्य लेने के बाद प्रतिवादी /अप्रार्थी संख्या 2 के राजीनाम के आधार पर परीक्षण न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, डीडवाना ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2002 से वादी का वाद डिक्री कर दिया। प्रार्थी ने उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की जानकारी होने पर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 प्रस्तुत करते हुये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2002 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। इसी दौरान परीक्षण न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, डीडवाना ने अंतिम डिक्री दिनांक 30.3.2003 पारित कर दी जो पूर्णतया विधि विरूद्ध थी। जिसे अपीलीय न्यायालय को केवल अपील मियाद के बिन्दु पर अस्वीकार नहीं करनी चाहिए थी उन्हें प्रकरण के गुणावगुण पर जाकर अपील का निस्तारण किया जाना चाहिए था। उक्त आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4340/2004/नागौर** **रेखाराम बनाम रामेश्वर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें विलंब का पर्याप्त कारण अंकित किया था परन्तु अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट का मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र बिना विचार किये ही केवल प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना एवं उसको अस्वीकार कियाजाना मानते हुये प्रार्थी की अपील को भी अस्वीकार कर दिया जो विधि विरूद्ध आदेश होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने राजस्व मंडल नियम 18 से 21 की पूर्णरूप से पालना किये बगैर ही अपना निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस अपील व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय में पक्षकारों के मध्य बंटवारे हेतु पूर्व में दिनांक 13.03.2002 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। प्रकरण में पुनः दिनांक 27.03.2002 को विवादित भूमियों हेतु कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के तैयार कर संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा प्रेषित की गयी। इन प्रस्तुत कुर्रेजात प्रस्तावों पर अपीलांट ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। यहां यह उल्लेखनीय है कि जो कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी वह परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री के आधार पर व उसके अनुसार ही तैयार कर प्रेषित की गयी है। इन कुर्रेजात प्रस्तावों में सभी खातेदारों का हिस्सा जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार ही रखा गया है और किसी पक्षकार का हिस्सा कम या ज्यादा भी नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमियों के संलग्न रास्ते के लगते हुये भी सभी खातेदार पक्षकारों का हिस्सा बंटवारे के कुर्रेजात प्रस्तावों में रखा गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है, जिनमें कोई विधिक त्रुटि या विधिक अनियमितता नहीं पायी जाती	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4340/2004/नागौर** **रेखाराम बनाम रामेश्वर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है।

इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि जहां तक अपीलीय न्यायालय के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के संबंध में पारित निर्णय का प्रश्न है वह अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में सभी संबंधित रिकार्ड के आधार पर जांच व परीक्षण कर इस संबंध में अपना निर्णय पारित किया है। प्रकरण में संबंधित रिकार्ड के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलांट को विवादित भूमियों के संबंध में इस दावे व पूर्व के दावे की पूर्ण जानकारी रही है। चूंकि वह इनमें पक्षकार रहे है। इसके अतिरिक्त यह भी सही है कि अपीलाधीन प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2002 को पारित की गयी है व अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व दिनांक 11.03.2002 को प्राथमिक डिक्री निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है वह भी अदम हाजरी में दिनांक 26.03.2002 को खारिज किया गया है और उसके पश्चात दिनांक 30.03.2002 को अंतिम डिक्री जारी हुई है। अंतिम डिक्री पारित करने की जानकारी भी उनको पूर्णरूपेण रही थी। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थी ने आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.05.2002 को पेश किया है जो दिनांक 10.01.2003 को खारिज हुआ है अर्थात अंतिम डिक्री के निर्णय के 2 माह 17 दिन बाद ही निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को थी, उसके पश्चात भी प्रथम अपील 6 माह 20 दिन के अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में उनके द्वारा प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण, संतोषजनक कारण व समुचित स्वीकार्य आधार प्रस्तुत नहीं किये है। अतः अपीलीय न्यायालय ने उनकी अपील को मियाद बाहर मानते हुये मियाद के बिन्दु पर विधिक रूप से सही खारिज किया है।

परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलीय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2004 बहाल रखे जाते है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिकी/टी0ए0/4340/2004/नागौर** **रेखाराम बनाम रामेश्वर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (गणेश कुमार) सदस्य (रामनिवास जाट) सदस्य	